

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

(12)

95

क्र.सं. पं० 11(1)मं.मं./99

जयपुर, दिनांक: 30/11/12

आज्ञा

इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 06.01.2000, दि० 30.07.2010, दि० 24.2.2012 एवं दिनांक 30.05.2012 आज्ञा क्रमांक: पं० 11(4)मं.मं./06 दिनांक 12.09.2008 के क्रम में राज्य में गठित विभिन्न आयोगों के अध्यक्षगण जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया हुआ है, को देय सुविधाओं में सत्कार भत्ता की अतिरिक्त सुविधा को तुरन्त प्रभाव से प्रदान करते हुए पूर्व में जारी किये गये आदेशों के अतिक्रमण में निम्नानुसार संशोधित (इकजाई) आदेश जारी किये जाते हैं :-

क्र.सं.	विवरण	देय सुविधाएँ
1.	वर्तन एवं सत्कार भत्ता	₹ 30,000/- एवं ₹ 20,000/- सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा है) ₹ 27,000/- एवं ₹ 20,000/- सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें राज्यमंत्री स्तर का दर्जा है) ₹ 24,000/- एवं ₹ 15,000/- सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें उपमंत्री स्तर का दर्जा है)
2.	एक झालन	जयपुर एवं जयपुर से बाहर राजकीय दौरे के उपयोग हेतु।
3.	चिकित्सा सुविधा	मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री को देय निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के अनुसार।
4.	यात्रा भत्ता	मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री को देय (ए ब्लास अधिकारी के अनुसार) यात्रा भत्ता।
5.	दैनिक भत्ता	राजकीय कार्य हेतु:- (क) राज्य में ₹ 1000/- प्रति दिन (180 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक) (ख) राज्य से बाहर ₹ 1250/- प्रति दिन (100 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक) (उक्त दोनों यात्रायें वर्ष में 180 दिवस तक सीमित रहेंगी)
6.	टेलीफोन	एक निःशुल्क राजकीय टेलीफोन कार्यालय के उपयोग हेतु। एक राजकीय टेलीफोन निवास हेतु जिसकी सीमा निम्न प्रकार होगी:- मंत्री स्तर हेतु 20,000/- काल्स प्रति दो माह में राज्यमंत्री स्तर हेतु 17,000 काल्स प्रति दो माह में उप मंत्री स्तर हेतु 7,500/- काल्स प्रति दो माह में
7.	उहरने एवं भोजन की व्यवस्था	माननीय मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण/उप मंत्रिगण को देय सुविधा के अनुसार सुविधा देय होगी।

आवास भत्ता : आज्ञा क्रमांक: पं० 11(4)मं.मं./06 दिनांक 12.09.2008 द्वारा प्रदत्त :-

क्र.सं.	मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर	मासिक आवास भत्ता	विशेष विवरण
1.	मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त पदाधिकारी जो जयपुर के निवासी नहीं हैं।	₹ 10,000/-	इन्हें विश्राम भवन, जयपुर में आवास की सुविधा देय नहीं होगी।
2.	मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त पदाधिकारी जो जयपुर के निवासी हैं।	₹ 3,000/-	---

सदस्यगण हेतु:- इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 11.09.2012 के द्वारा राज्य में गठित विभिन्न आयोगों में पदस्थापित सदस्यगण को निम्न प्रकार से राजकीय सुविधायें प्रदान की गई हैं:-

क्र.सं.	विवरण	देय सुविधाएँ
1.	राजकीय कार्य से बैठक में भाग लेने हेतु :- (क) बैठक में उपस्थित फौस (प्रत्येक बैठक हेतु) (ख) कन्वेन्स अलाउन्स (स्थानीय) (ग) यात्रा भत्ता	₹ 1000/- प्रति बैठक (प्रत्येक माह में बैठकों की सीमा 5 रहेंगी।) ₹ 150/- प्रति बैठक (प्रत्येक माह में बैठकों की सीमा 5 रहेंगी।) "ए" श्रेणी के अधिकारियों को देय दर के अनुसार (प्रत्येक माह में यात्रा-भत्ता की सीमा 5 रहेंगी।)
2.	टेलीफोन काल्स की सीमा	1800 काल्स प्रति दो माह तक की सीमा तक टेलीफोन बिल की राशि का पुनर्भरण देय।

यह आज्ञा वित्त (नियम) की आई.डी. संख्या 101204392 दिनांक 23.11.2012 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।
राज्यपाल की आज्ञा से।

(डी० गोताम मुखर्जी)
सचिव उप सचिव

प्रतिनिधि विभाग की सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर / प्रमुख सचिव/सचिव (प्रधान/विशेष) मुख्य मंत्रालय।
2. सार्वजनिक प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव/सार्वजनिक सचिव/सार्वजनिक सचिव सार्वजनिक सचिवालय।
3. प्रमुख सचिव, वित्त एवं सार्वजनिक सचिवालय।
4. निजी सचिव, अध्यक्षगण/उपाध्यक्षगण विभिन्न आयोग सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक सचिवालय, जयपुर।
7. सचिव, सार्वजनिक सचिवालय (एन-3 एवं 5) विभाग।
8. सचिव, सार्वजनिक सचिवालय, जयपुर।
9. सचिव, सार्वजनिक सचिवालय (एन-3 एवं 5) विभाग।
10. सचिव, सार्वजनिक सचिवालय, जयपुर।
11. सचिव, सार्वजनिक सचिवालय।